GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 199
TO BE ANSWERED ON 21.12.2023

RECRUITMENT REGULATIONS OF STAFF AND OFFICERS OF ESIC

199. DR. K. LAXMAN:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) whether the recruitment regulations of staff and officers of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) are to remain at par with those applicable to the officers and employees of the Central Government;
(b) if so, whether Government has taken any steps to review the existing terms and conditions of the staff of the ESIC to ensure conformity of their service conditions; and
(c) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

* *****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 199 FOR 21.12.2023 ASKED BY DR. K. LAXMAN REGARDING RECRUITMENT REGULATIONS OF STAFF AND OFFICERS OF ESIC.

(a) to (c): As per provisions under Section 17 of the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948, the method of recruitment, salary and allowances, discipline and other conditions of service of the members of the staff of the ESI Corporation are to be in accordance with the rules and orders applicable to the officers and employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay.

Accordingly, in terms of the provisions under the Employees State Insurance Act, 1948, the Employees' State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1959 were framed by the Employees State Insurance Corporation. Based on review of these regulations, the Employees State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023 were notified by the Employees State Insurance Corporation on 19.06.2023. In line with the revised regulations, the Employees State Insurance Corporation has under taken review of the recruitment regulations of its staff and officers.

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 199*

गुरूवार, 21 दिसम्बर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईएसआईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम

***199. डा. के. लक्ष्मण:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होने वाले विनियमों के समान ही रहेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ईएसआईसी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता सुनिश्चित करने के लिए उनके मौजूदा निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

ईएसआईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती संबंधी विनियम के संबंध में डा. के. लक्ष्मण द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार निगम के स्टाफ के सदस्यों की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें समान वेतनमान प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार ही होनी है।

तदनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा शर्तें) विनियम, 1959 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तैयार किए गए थे। इन विनियमों की समीक्षा के आधार पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा शर्तें) विनियम, 2023 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 19.06.2023 को अधिसूचित किए गए थे। संशोधित विनियमों की तर्ज पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के भर्ती विनियमों की समीक्षा की है।

*****

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है कि ESIC के जो रेगुलेशंस हैं, क्या उनको हमने बाकी सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया है, समकक्ष किया है या नहीं किया है, तो मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि यह विषय एक लम्बे समय से पेंडिंग था, लेकिन ESIC में हम लोगों ने एक पाँच सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का गठन करके 15 दिसम्बर, 2022 को हमने एक OM निकाला है। इस OM के बेसिस पर हमने Employees' State Insurance Corporation के स्टाफ के लिए कंडीशंस और रेग्युलेशंस 2023 में निर्धारित किये हैं। उसके अंतर्गत हमने अब जो ग्रेडिंग की है, उसके द्वारा एक लम्बे समय से अधिकारियों की प्रोन्नत्ति का जो विषय था, उसका समाधान हुआ है। उन्हीं नियमों के अन्तर्गत अब हम इस सारी कार्रवाई को विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं।

DR. K. LAXMAN: I would like to know whether the ESI has empanelled any hospitals, medical practitioners, etc., to provide medical treatment to its staff and officers where its services are not available. If so, the details thereof.

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, ईएसआईसी की जो सुविधा है, वह IPs को उपलब्ध है, जो Insured Persons हैं। भारत सरकार के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगार हैं, जो उसकी मान्यता के अंतर्गत आते हैं, एक निश्चित वेतनमान के अंतर्गत उनको IP बनाया जाता है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि ये जो IPs हैं, इनका इलाज ईएसआईसी अस्पताल में होता है। दुनिया भर में ईएसआईसी एक ऐसी स्कीम है, जिसमें अगर किसी भी कर्मचारी का इलाज होता है, तो इसमें हायर लिमिट कुछ भी नहीं है। यह सबसे बढ़िया योजना है, जिसमें कर्मचारी के इलाज का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस समय पूरे देश के अन्दर ईएसआईसी के 161 अस्पताल चल रहे हैं तथा अभी हमने 107 और अस्पतालों को स्वीकृत किया है। इन 161 अस्पतालों के अंतर्गत टोटल 11,547 पैरामेडिकल कैडर्स की पोस्ट्स हैं। बाकी सारी जो पोस्ट्स हैं, अभी जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो नई भर्तियाँ हो रही हैं, उनके अंतर्गत इन पोस्ट्स पर भर्तियों का कार्य चल रहा है। जहाँ पर ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमारे आईपीज़ हैं, उनको हम पूरा इलाज देने के लिए हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करते हैं। उन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की भी एक पूरी लिस्ट है, जिसे मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगा।

श्री हरनाथ सिंह यादवः माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए लागू 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के उद्देश्य क्या हैं और इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की अब तक की कुल संख्या कितनी है?

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मेरे इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। जो मूल प्रश्न है, वह सरकार द्वारा ईएसआई की सुविधा देने के संबंध में है। सरकार की ईएसआई की सुविधा केवल मेडिकल बेनिफिट की सुविधा नहीं है, बल्कि इसमें मेडिकल बेनिफिट

के साथ-साथ sickness benefit, extended sickness benefit, disablement benefit, maternity benefit, dependent benefit, funeral expenses and other benefits दिए जाते हैं। यह कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाली एक वृहद स्कीम है, जिसके अंतर्गत लगभग 13.50 करोड़ लाभार्थी आते हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के बारे में है, जो कि इस प्रश्न से बिल्कुल पृथक है। चूंकि उनका प्रश्न भिन्न है, इसलिए उनको मैं व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर दूँगा। उसका इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 200, श्री सुशील कुमार मोदी।